न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्या 139/2020

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
620/2021	2021/467	05.10.2021	07.08.2025

उनवान

अशोक पुत्र आर०एस० जाति ब्राहमण निवासी P 1/25 B DLF फेज ।। गुड़गांवा हरियाणा

वादी

बनाम

1– चन्दा देवी पत्नि मोहनलाल (फोत)
1/1–बंशी
1/2–चंद्राराम
1/3–जयराम
1/4–भरथाराम
1/5–महादेव पुत्रान स्व० मोहनलाल
2– ननछी देवी पत्नि सेडूराम
3– प्रभाती देवी पत्नि भगवान सहाय (फोत)
3/1–बजरंगलाल
3/2–रामकरण
3/3–धोलाराम
3/4–सीताराम पुत्रान स्व० भगवान सहाय
4– रूप देवी पत्नि रामलाल
5– रमली देवी पत्नि श्योलाल
6– श्रवण देवी पत्नि जयमल
7– सुरा देवी पत्नि जयराम
8– संजली देवी पत्नि अर्जुन
9– सारली देवी पत्नि हनुमान सहाय
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी लाम्बी की तन–पांचूडाला तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री ओमप्रकाश शर्मा ।।
प्रतिवादी सं. 02, 05, 07, 08 श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत

<u>दावा बाबत तकास्मा</u>

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1905/1.73 वाकै मौजा पांचूडाला तहसील पावटा जिला–जयपुर, राजस्थान स्थित है उपरोक्त आराजी को आगे आराजी मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त आराजीयात मुतदाविया वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी हिस्सा 1/2 के बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से के मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 हिस्सा 1/12 – 1/12, प्रतिवादी संख्या–03 व 04 हिस्सा 1/24 – 1/24, प्रतिवादी संख्या 05 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 प्रत्येक हिस्सा 1/24 – 1/24 के बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है इस प्रकार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके अनुसार भूमि पर काबिज है तथा भूमि को कास्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

2. वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजियत का आज तक आपस में विधिवत रूप से तकास्मा नहीं होने के कारण आये दिन मेर कोर व लगान की अदायगी को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजयीत का मौके पर कब्जे अनुसार एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के मध्य आपस में विधिवत रूप से तकास्मा कराया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। जब तक तकास्मा नहीं होता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 को कई बार उपरोक्त आराजी मुतदाविया का तहसील में चलकर तकास्मा के लिये कहां लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे तथा कल दिन तकास्मा के लिये साफ मना कर दिया। इसलिये माननीय न्यायालय में यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ और यही विनाय दावा है। वाद कारण गत सप्ताह से वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे तकास्मा के लिये कहने पर लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा टालमटोल करने पर तथा कल दिन तकास्मा के लिये साफ मना करने पर पैदा होकर लगातार जारी है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। विवादीत भूमि श्रीमान अधिकार क्षेत्र में स्थित है तथा पक्षकारान भी श्रीमान अधिकार क्षेत्र में स्थित है अतः श्रीमान को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतिय अनुसूची के अनुसार फिक्स कोर्ट फीस दो रूपये पर वाद पेश है।

3. वादी दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 के विरूद्ध इस आशय की प्रदान की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1905/1.73 वाकै मौजा पांचूडाला तहसील पावटा जिला–जयपुर, राजस्थान स्थित है उपरोक्त आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी हिस्सा 1/2 के बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शेष हिस्से के मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 हिस्सा 1/12 – 1/12, प्रतिवादी संख्या– 03 व 04 हिस्सा 1/24 – 1/24, प्रतिवादी संख्या 05 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 प्रत्येक हिस्सा 1/24 – 1/24 के बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है इस प्रकार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 अपने अपने हिस्से अनुसार मौके अनुसार भूमि पर काबिज है तथा भूमि को कास्त करते चले आ रहे है। का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में अच्छी, बुरी में बुरी मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर तकास्मा किया जाकर वादी के हिस्से में जो जमीन आवे उस पर बटा नम्बर डाला जाकर वादी को बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई दादरसी जो मान्य न्यायालय वादी के पक्ष में उचित समझे प्रदान की जावे। हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

4 वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 02 एवं 04 लगायत 08 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 01 एं0 03 की फौतगी पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया, जो उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस बाद स्वीकार किये गये। संशोधित टाईटल पेश वादी वकील द्वारा पेश किया जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 01 एवं 03 के वारिसान तथा प्रतिवादी सं. 04, 06 एवं 09 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 06.06.2024 वकुलाये फेरिकेन की बहस उपरान्त वादपत्र को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पावटा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

4. दिनांक 15.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया जिस पर प्रतिवादी वकील ने अनापत्ति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

5. अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 1905/1.73 वाकै मौजा पांचूडाला तहसील पावटा जिला-जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क्रसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**अशोक पुत्र RS हि. पूर्ण जाति ब्राह्मण नि. P 1/25 B DLF फेज ।। गुडगांवा खातेदार**	**1905/1 रकबा 0.8650 हैक्ट0 भूमि।**
2	**1 धोलाराम पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 राहिन दी जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा जाति गुर्जर 2 चन्दा देवी पत्नि मोहनलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर 3 दुर्गाराम पुत्र श्योलाल हि. 1/24 जाति गुर्जर 4 धोली देवी पुत्री श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 5 ननछी देवी पत्नी सेडूराम हि. 1/5 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार 6 बजरंग पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार 7 बिदामी देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 8 मिश्री देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 9 रूडाराम पुत्र श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 10 रूपादेवी पत्नी रामलाल हि. 1/12 कौम गुर्जर 11 रामकरण पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर राहिन दी जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा 12 रोशन देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 13 श्रवण देवी पत्नी जयमल हि. 1/12 जाति गुर्जर 14 सुरजी देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 15 सुरा देवी पत्नी जयराम हि. 1/12 जाति गुर्जर 16 सुवालाल पुत्र श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 17 सांपली देवी पत्नी अर्जुन हि. 1/12 कौम गुर्जर 18 सारली देवी पत्नी हनुमान सहाय हि. 1/12 जाति गुर्जर 19 सीताराम पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार**	**1905/2 रकबा 0.8650 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या 139/2020

पुनः दर्ज वाद संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
620/2021	2021/467	05.10.2021	07.08.2025

उनवान

अशोक पुत्र आर०एस० जाति ब्राहमण निवासी P 1/25 B DLF फेज ।। गुड़गांवा हरियाणा

वादी

बनाम

1– चन्दा देवी पत्नि मोहनलाल (फोत)
1/1–बंशी
1/2–चंद्राराम
1/3–जयराम
1/4–भरथाराम
1/5–महादेव पुत्रान स्व० मोहनलाल
2– ननछी देवी पत्नि सेडूराम
3– प्रभाती देवी पत्नि भगवान सहाय (फोत)
3/1–बजरंगलाल
3/2–रामकरण
3/3–धोलाराम
3/4–सीताराम पुत्रान स्व० भगवान सहाय
4– रूप देवी पत्नि रामलाल
5– रमली देवी पत्नि श्योलाल
6– श्रवण देवी पत्नि जयमल
7– सुरा देवी पत्नि जयराम
8– संजली देवी पत्नि अर्जुन
9 सारली देवी पत्नि हनुमान सहाय
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी लाम्बी की तन–पांचूडाला तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री ओमप्रकाश शर्मा ।।
प्रतिवादी सं. 02, 05, 07, 08 श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम रावत

दावा बाबत तकास्मा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा न0 1905/1.73 वाकै मौजा पांचूडाला तहसील पावटा जिला–जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड राज. के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

कसं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**अशोक पुत्र RS हि. पूर्ण जाति ब्राह्मण नि. P 1/25 B DLF फेज ।। गुडगांवा खातेदार**	**1905/1 रकबा 0.8650 हैक्ट0 भूमि।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

2	1 धोलाराम पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 राहिन दी जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा जाति गुर्जर 2 चन्दा देवी पत्नि मोहनलाल हि. 1/6 जाति गुर्जर 3 दुर्गाराम पुत्र श्योलाल हि. 1/24 जाति गुर्जर 4 धोली देवी पुत्री श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 5 ननछी देवी पत्नी सेडूराम हि. 1/6 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार 6 बजरंग पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार 7 बिदामी देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 8 मिश्री देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 9 रूडाराम पुत्र श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 10 रूपादेवी पत्नी रामलाल हि. 1/12 कौम गुर्जर 11 रामकरण पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर राहिन दी जयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. शाखा पावटा 12 रोशन देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 13 श्रवण देवी पत्नी जयमल हि. 1/12 जाति गुर्जर 14 सुरजी देवी पुत्री भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर 15 सुरा देवी पत्नी जयराम हि. 1/12 जाति गुर्जर 16 सुवालाल पुत्र श्योलाल हि. 1/24 कौम गुर्जर 17 सांपली देवी पत्नी अर्जुन हि. 1/12 कौम गुर्जर 18 सारली देवी पत्नी हनुमान सहाय हि. 1/12 जाति गुर्जर 19 सीताराम पुत्र भगवानसहाय हि. 1/96 जाति गुर्जर सा. ढाणी खातेदार	1905/2 रकबा 0.8650 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें।

आज दिनांक 07.08.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	